न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—48/2025

गोपीराम पुत्र सोमदत, जाति कुम्हार, साकिन सुरावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. ईमीलाल पुत्र धन्नाराम, जाति नायक, साकिन सूंरावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. बिरूराम पुत्र धन्नाराम, जाति नायक, साकिन सुंरावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. शंकरलाल पुत्र धन्नाराम, जाति नायक, साकिन सूंरावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
4. सरदारा पुत्र धन्नाराम (फौत)

(क) कमला देवी पत्नी सरदाराराम	अकवामें नायक
(ख). राकेश कुमार पिसरान सरदाराराम	साकिनान सूरांवाली
(ग) विनोद कुमार,	हाल निवासी चक 3 डीबीएन,
(घ). सरूपा	तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

5. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमनगढ।
6. पालाराम पुत्र ख्याली राम जाति ब्राहम्ण साकिन सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाण	प्रार्थी
2. श्री औंकार सिंह	अप्रार्थी सं. 1 ता 4(घ),
3. श्री जगजीत सिंह रमाणा	अप्रार्थी सं. 6
4. तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 5

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 12/11/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:56:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए [illegible]कृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के अनु[illegible] पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता स. 24/25 के प.न. 16/249 (23) के किला न. 9 ता 13, 18, 19, 23 व प.न. 17/252 (62) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21/1/0.228, 21/2/0.025 व प.न.18/249 (21) के किला न.16 ता 22,

3
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

23/1/0.126, 23/2/0.127, 24, 25 की कुल 5.633 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 ता 3 व अप्रार्थी स. 4 क ता 4 घ पति/पिता तथा अप्रार्थी स. 1 ता 3 की माता व अप्रार्थी स.4 क की सास एवं अप्रार्थी स. 4 ख ता 4 घ की दादी स्व. आसी पत्नी धन्नाराम के सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता स.4 के प.न.16/249 (23) के किला न. 1/1/0.190, 1/2/0.038, 1/3/0.025, 2/1/0.190, 2/2/0.038, 2/3/0.025, 3/1/0.190, 3/2/0.038, 3/3/0.025, 4/1/0.190, 4/2/0.038, 4/3/0.025, 5/1/0.190, 5/2/0.038, 5/3/0.025, 6, 7/1/0.089 1.607 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के नाम वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चक 7 एच.डी.पी. के प.न. 16/249 (23) के किला न. 1/1/0.018 हैक. रास्ता पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है, मौका पर रास्ता चालू है, जिसका का उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य काश्तकार को रास्ता नही है। प्रार्थी व अन्य काश्तकार इसी रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के साथ साथ कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने भूमि की बीजाई व कटाई हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि जिन्स को इक्कठा करने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस कारण मिन प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 ता 3 व अप्रार्थी स. 1 ता 5के पूर्वजो के नाम वर्णित चक 7 एच.डी.पी. के प.न. 16/249 (23) के किला न. 1/1/0018 हैक. रास्ता पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है,

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से गत सप्ताह पूर्व उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवा देने का आग्रह करने पर उनके द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल हुआ है और अप्रार्थी स. 5 को भू–धारक होने के कारण बतौर अप्रार्थी स. 5 संयोजित किया गया ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जा सके।

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी रास्ता हेतू स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार भूमि के बदले जो भी माननीय न्यायालय आदेशित करे प्रार्थी, अप्रार्थीगण स. 1 ता 4 को देने हेतू सहमत है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है और उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवे[illegible] प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के लिए [illegible] की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एच.डी.पी. के प.न. 16/249 (23) के किला न. 1/1/0.018 हैक. रास्ता पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा इस रास्ते [illegible] आने वाली भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप भूमि के बदले जो भी माननीय न्यायालय अभिनिर्धारित करे प्रार्थी से अप्रार्थीगण को दिलवाया जाने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:56:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4(घ). की ओर से श्री औंकार सिंह अधिवक्ता हाजिर । राजीनामा प्रार्थी/प्रथम पक्ष अप्रार्थीगण स. 1 ता 4(घ)/द्वितीय पक्ष की ओर से स्वयम् हाजिर होकर प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार से है कि –

यह कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता स. 24/25 के प.न.16/249 (23) के किला न. 9 ता 13, 18, 19, 23 व प.न. 17/252 (62) के किला न.1, 10, 11, 20, 21/1/0.228, 21/2/0.025 व प.न.18/249 (21) के किला न. 16 ता 22, 23/1/0.126, 23/2/0.127, 24, 25 की कुल 5.633 हैक. नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 ता 3/द्वितीय पक्ष व अप्रार्थी स. 4 क ता 4 घ/द्वितीय पक्ष पति/पिता तथा अप्रार्थी स. 1 ता 3/द्वितीय पक्ष की माता व अप्रार्थी स.4 क/द्वितीय पक्ष की सास एवं अप्रार्थी स. 4 ख ता 4 घ / द्वितीय पक्ष की दादी स्व. आसी पत्नी धन्नाराम के सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता स.4 के प.न.16/249 (23) के किला न. 1/1/0.190, 1/2/0.038, 1/3/0.025, 2/1/0.190, 2/2/0.038, 2/3/0. 025, 3/1/0.190, 3/2/0.038, 3/3/0. 025, 4/1/0.190, 4/2/0.038, 4/3/0. 025, 5/1/0.190, 5/2/0.038, 5/3/0.025, 6, 7/1/0. 089 की कुल 1.607 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थी/प्रथम पक्ष के द्वारा मिन अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि में आने जाने हेतु चक 7 एच.डी.पी. के प.न. 16/249 (23) के किला न. 1/1/0.018 हैक. रास्ता पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है, मौका पर रास्ता चालू है, का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी/प्रथम व अप्रार्थी स.1 ता 4(घ)/द्वितीय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष ने उक्त रास्ता की कृषि भूमि के बदले प्रार्थी/प्रथम पक्ष की कृषि भूमि चक 7 एचडीपी के खाता स.24/25 के प.न.16/249 (23) के किला न.9, 10 प्रत्येक किला में बराबर–बराबर कुल 0.018 हैक. भूमि उतरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लम्बी मिन अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्ष की भूमि के किला न.1 व 2 चिपती हुई प्राप्त कर ली है। यदि अप्रार्थी स.1 ता 4(घ)/द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि चक 7 एच.डी.पी. के प.न. 16/249 (23) के किला न. 1/1/0.018 हैक. रास्ता पश्चिम दिशा उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थी स. 1 ता 4(घ) को कोई उजर व एतराज नही है तथा राजीनामा अनुसार ही प्रार्थना पत्र डिक्री करवाना चाहते है।

अतः आज यह राजीनामा प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स. 1 ता 4(घ) /द्वितीय पक्ष ने बिना किसी दवाब व बहकाव तथा बिना किसी नशे पते के कर लिया है, राजीनामा अनुसार ही प्रार्थना पत्र डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:56:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा निम्न प्रकार से है–यह कि उक्त अनवान प्रार्थना पत्र में रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थी/प्रथम पक्ष गोपीराम द्वारा अपनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एचडीपी के खाता स.24/25 के प.न.16/249 (23) के किला न.9/0.193, 10 ता 13, 18, 19, 23/0.127 में आने–जाने हेतू प.न.16/249 (23) के किला न.1/1/0.018 हैक. पश्चिम दिशा व उतर से दक्षिण रास्ता स्वीकृति हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स.6 पालाराम जो द्वितीय पक्ष है द्वारा प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतू प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया व द्वितीय पक्ष पालाराम प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स.6 के रूप में सयोंजित हो चुका है। प्रार्थी/प्रथम पक्ष व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स.1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत होकर प.न.16/249 (23) के

सहायक कलक्टर
जिला हनुमानगढ़

किला न.1 में 0.018 हैव. रास्ता स्वीकृति हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। द्वितीय पक्ष/अप्रार्थी स.6 प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित होने के पश्चात् प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स.6/द्वितीय पक्ष के मध्य भी राजीनामा हो चुका है। जिस अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा प.न. 16/249 (23) के किला न.1/0.018 हैव. में रास्ता स्वीकृति के साथ–साथ द्वितीय पक्ष अप्रार्थी स.6 को चक 7 एचडीपी के प. न. 16/249 (23) के किला न. 9/0.009 हैक. उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम व किला न.10/0.013 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स.6/द्वितीय पक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है व रास्ता मौका पर चालू किया जा चुका है, जिससे अप्रार्थी स.6/द्वितीय पक्ष आना–जाना करता चला आ रहा है। यह रास्ता नायब तहसीलदार गोलूवाला ने मौका पर जाकर आदेश क्रमांक 94 दिनांक 24.09.2025 चक 7 एचडीपी के प.न.16/249 (23) के किला न. 1/0.018 हैक., 10/0.013 हैव., 9/0.009 हैक. सहमति से रास्ता खुलवाया जा चुका है व आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा नही है। इस प्रकार पूर्व में राजीनामा जो अप्रार्थी स.1 ता 4 के मध्य हो चुका व अप्रार्थी स.6/द्वितीय पक्ष के मध्य राजीनामा अनुसार चक 7 एचडीपी के प. न. 16/249 (23) के किला न.1/0.014 हैव. जो अप्रार्थी स.1 ता 4 के नाम है व प.न.16/249 (23) के किला न.9/0.009 हैक., 10/0.013 हैक. जो प्रार्थी/प्रथम पक्ष के नाम है में रास्ता स्वीकृत करवाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है व प्रार्थी/प्रथम पक्ष गोपीराम द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स.1 त 4 को 0.014 हैक. कृषि भूमि रास्ते में आई भूमि के बदले देनी तय हुई है व अप्रार्थी स. 6/द्वितीय पक्ष रास्ते के बदले आई भूमि में से प्रार्थी/प्रथम पक्ष को 0.022 हैक. देना तय हुआ है । राजीनामा अनुसार अप्रार्थी स. 6/द्वितीय पक्ष अपनी भूमि प.न.16/249 (23) के किला न. 7/2/0.164 में से अप्रार्थी स. 1 ता 4 को 0.014 हैव. उत्तरी दिशा में इनकी भूमि 7/1/0.089 हैक. के चिपते ही देगा, बाकी बची 0.008 हैव. अप्रार्थी स.6/द्वितीय पक्ष प.न. 16/249(23) के किला न.9/0.193 हैक. में से 0.008 हैव. दक्षिणी दिशा में किला न.9 के चिपते प्रार्थी/प्रथम पक्ष को कृषि भूमि देगा। इसी अनुसार पक्षकारान राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने व कृषि भूमि देने हेतू पूर्णतः सहमत व रजामन्द है व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को मुताबिक राजीनामा फैसला करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 17883905 से प्राप्त हो चुकि है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में भी कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्त से कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभ्य पक्ष सुनी बहस में अधिवक्ता उभ्य पक्ष ने राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। राजीनामा का गहन अध्ययन किया गया। चुकि उभ्य पक्ष के मध्य रास्ता हेतु सहमति हो गई है इस लिए लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थी [illegible] के नाम चक 7 एचडीपी के प. न. 16/249 (23) के किला न. 1/0.014 है. व प्रार्थी/प्रथम पक्ष के नाम प.न.16/249 (23) के किला न. 9/0.009 हैं., 10/0.013 है. में रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

स्वीकृत रास्ते के प्रतिकर के रूप में अप्रार्थी स. 1 ता 4 को अप्रार्थी स. 6 के नाम दर्ज भूमि प.न. 16/249 (23) के किला न. 7/2/0.164 में से उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम 0.014 हैव. भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:56:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी स. 6 के नाम दर्ज प.न. 16/249(23) के किला न. 9/0.193 हैक. में से 0.008 हैक. दक्षिणी दिशा में किला न. 9 के चिपते प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करें।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:56:09 IST
Reason: SelfAttested